सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No NCST/SER-865/RJ/4/2023-RO-JPR

दिनांक: 29.11.2024

सेवा में,

1. Shri Krishna Kunal
Secretary,
School Education Department
Govt. of Rajasthan
Jaipur(Rajasthan)-302005
Email:- secy.schooleducation@rajasthan.gov.in
Phone No. – 0141-2227795

2. Shri Ashish Modi
Director
Directorate of Secondary Education
Govt. of Rajasthan
Bikaner (Rajasthan)- 334001
(Email:- dir.dse@rajasthan.gov.in
(Phone No. – 0151-2522238)

विषय: अनुसूचित जनजाति की महिला को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति न देने के संबंध में - श्रीमती सावित्री मीणा, उप प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडोलिया रावत भाटा, जिला-चित्तौडगढ का दिनांक 3.04.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/ महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर, श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष , राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 4.11.2024 को 5:00 बजे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

अत: आप से निवेदन है कि सिटिंग की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट को निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करे, जिसे माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(एच .आर.मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Phone -24641640

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमती सावित्री मीणा,
लव-कुश सदन, इन्दिरा कॉलोनी, वार्ड नं.-6,
ब्राइटवे स्कूल के पास, रावतभाटा,
चित्तोडगढ-323307 (राजस्थान) (मो.: 8764057998)
2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST.
3. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2024 को शाम 05:00 बजे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में श्रीमती सावित्री मीणा, उप प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाड़ोलिया, जिला – चित्तौड़गढ़ को समयबद्ध प्रोन्नति न देने के संबंध मे आयोजित बैठक के कार्यवृत।

(फ़ाइल न. NCST/SER-865/RJ/4/2023-RO-JPR)
बैठक की तिथि : 04.11.2024, शाम 05:00 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

श्रीमती सावित्री मीणा, उप प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाड़ोलिया, जिला – चित्तौड़गढ़ ने अभ्यावेदन दिनांक 3.04.2023 में बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर वर्ष 2018 से लगातार डीपीसी आयोजित की जा रही है परंतु उनका नाम प्रधानाचार्य के पद के लिए नामित नहीं किया जा रहा है।माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तक प्रधानाचार्य पद हेतु आयोजित डीपीसी में योग्य होने पर भी उनका नाम सम्मिलिति नहीं किया गया तथा उनको प्रधानाचार्य के पद से वंचित रखा गया है।

2. उपरोक्त प्रकरण को NCST ने समसंख्यक नोटिस दिनांक 23.05.2023 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग , जयपुर तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर से 15 दिनों के अंदर तथ्य तथा आख्या भेजने हेतु आग्रह किया ।

3. एनसीएसटी के नोटिस दिनांक 23.05.2023 के संदर्भ में, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 09.06.2023 के माध्यम से बताया कि " श्रीमती सावित्रीं मीणा, उप प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाड़ोलिया, चित्तौडगढ, विभाग द्वारा वर्ष 2020-21, 2021-22 की डीपीसी में योग्य नहीं पाई गई थी और वर्ष 2022-23 में उपयुक्त पाई गई, परंतु राजस्थान सरकार (राज्य एंव अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 के अनुसार, वह व्याख्याता पद की वरिष्ठता के आधार पर वह प्राचार्य पद के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई ।" इस पत्र को आयोग ने आवेदिका को समसंख्यक पत्र दिनांक 27.07.2023 के द्वारा भेज दिया ।

4. आवेदिका ने अपने प्रतिउत्तर दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से असंतुष्टि व्यक्त करते हुये न्याय की मांग की। जिसे आयोग ने पत्र दिनांक 10.05.2024 के माध्यम से सचिव, राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर को पुन : 15 दिन के अंदर आख्या प्रस्तुत करने का आग्रह किया । आवेदिका ने पत्र दिनांक 19.03.2024 के द्वारा प्रकरण में सिटिंग आयोजित करने का निवेदन किया ।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

5. एनसीएसटी ने इस प्रकरण में दिनांक 04.11.2024 को शाम 05:00 बजे संबन्धित अधिकारियों और आवेदिका के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया। तदनुसार, दिनांक 16.10.2024 को संबन्धित अधिकारियों और आवेदिका को सिटिंग नोटिस भेजी ।

6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 30.10.2024 के माध्यम सिटिंग में उपस्थित होने के लिए असमर्थता प्रकट की तथा ज़िला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर को आयोग में उपस्थित होने को कहा। सचिव, ,स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 4.11.2024 के द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रतिनियुक्त पर भेजे गए अधिकारी का संदर्भ देते हुये, व्यक्तिश: उपस्थित होने से मुक्त होने का निवेदन किया।

7. जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर तथा आवेदिका सिटिंग में उपस्थित हुये । आवेदिका ने बताया कि वरिष्ठता की सूची में उनका क्रमांक कई बार बदला गया और उन्हे समय पर पदोन्नति नहीं दी गई।जबकि साथ के अन्य कर्मचारी को पदोन्नत कर दिया गया । निदेशक ने बताया कि अन्य दो महिला अधिकारियों को वर्ष 2011-12 में ही पदोन्नत कर दिया गया था और विभाग ने इस जानकारी मिलने के बाद केवल सूची में सुधार किया था। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने पदोन्नति के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया है और आवेदिका के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

8. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात, राजस्थान सरकार, प्रकरण में निम्न बिन्दुओं से संम्बंधित दस्तावेज़/सूचना, आयोग को 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करे। इसके बाद, आयोग द्वारा अग्रिम कार्यवाई करने पर विचार किया जाएगा –

- राजस्थान सरकार (राज्य एंव अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 की प्रति ।
- वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15 तक प्रधानाचार्य के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों का नाम, वरिष्ठता की सूची में उनका क्रमांक तथा उनके पूर्व पद का विवरण ।

26-11-2024

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
नई दिल्ली

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

List of participants of the sitting held on 04.11.2024 at 5:00 PM under the Chairmanship of Antar Singh Arya, Hon'ble Chairperson, NCST regarding प्रधानाचार्य वर्ष 2022-23 की डीपीसी में सम्मिलित नहीं करने के संबंध में - श्रीमती सावित्री मीणा(पत्नी श्री महावीर प्रसाद मीणा) उप-प्रधानाचार्य, लव-कुश सदन, इंदिरा कालोनी, वार्ड नं.6, ब्राइटवे स्कूल के पास, रावतभाटा, जिला-चित्तौड़गढ़, राजस्थान का दिनांक 03-04-2023 का अभ्यावेदन।

Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Shri Surat Singh Director		
2.	R. S. Misra Consultant		
3.	Shri Akash Tripathy Sr. Investigator		
4.	Shri Mukesh Investigator		
5.	Shri Neelmani Thakur Consultant (Legal)		
6.	Shri Ajay Andley Consultant		
II	Secretary, School Education Department, Govt of Rajasthan		
Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
1.	Rakesh Kumar Dhalla DEO	Directorate of Sec. Edu Rajasthan, Bikaner	9414034692 [signature]
2.			
3.			
4.			
III	Directorate of Secondary Education,		
IV	Petitioner		
	[handwritten name in Hindi]	9784839880	[signature]